रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3, उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 239] नई दिल्ली, शनिवार, जून 30, 1973/आषाढ़ 9, 1895

No. 239] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 30, 1973/ASADHA 9, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 30th June 1973

S.O. 364(E).—Whereas the Supreme Court has, in its judgment delivered on the 24th November, 1971, on the Writ Petitions filed by the manufacturers of motor cars in regard to the selling prices of the cars manufactured by them, directed the Central Government to review the prices of the three makes of cars manufactured in the country every six months after taking into consideration the claims submitted by the manufacturers of the said cars for increase in the prices for the cars manufactured by them ;

And whereas the Central Government has considered the claims submitted by the manufacturers of the said cars for increase in the prices of the said cars ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 18G of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Motor Cars (Distribution and Sale) Control Order, 1959, namely:—

1. (1) This order may be called the Motor Cars (Distribution and Sale) Control (Second Amendment) Order, 1973.

(2) It shall come into force on the 1st day of July, 1973.

2. For Schedule I to the Motor Cars (Distribution and Sale) Control Order, 1959, the following Schedule shall be substituted, namely :—

"SCHEDULE I

	Name of manufacturer	Description of Motor Cars	Price
			Rs.
1.	Messrs. Hindustan Motors Ltd., Uttarpara, Distt. Hooghly (West Bengal)	Ambassador	17,170
2.	Messrs. Premier Automobiles Ltd., Construction House, Ballard Estate, Bombay.	Premier/President	16,679
3.	Messrs. Standard Motor Products of India Ltd., 29, Mount Road, Madras.	Standard Herald/Standard Gazel	16,666

Explanation.—The prices specified above are ex-factory prices inclusive of dealers' commission and do not include Excise Duties, Central Duties, Central Sales Tax and Local Taxes, if any, and transportation charges. These prices will be operative upto the 31st December, 1973."

[No. 5(5)/73-A.E.I. (I)]

S. K. SAHGAL, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 30 जून 1973

का० आ० 364 (अ).—यत: उच्चतम न्यायालय ने, मोटर कार के विनिर्माताओं द्वारा, उनके द्वारा विनिर्मित कारों की विक्रय कीमत के सम्बन्ध में, फाइल की गई रिट याचिकाओं पर, अपने 24 नवम्बर, 1971 को दिए गए निर्णय में केन्द्रीय सरकार को निदेश दिया था कि देश में विनिर्मित तीन प्रकार की कारों की कीमतों का पुनर्विलोकन हर छह मास पर उन दावों पर विचार करने के पश्चात् किया जाए जो उक्त कारों के विनिर्माताओं ने, उनके द्वारा विनिर्मित कारों की कीमतों में वृद्धि के लिए, प्रस्तुत किए हों;

और यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त कारों के विनिर्माताओं द्वारा उक्त कारों की कीमतों में वृद्धि के लिए प्रस्तुत किए गए दावों पर विचार कर लिया है ;

अत:, अब, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 छ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, मोटर कार (वितरण और विक्रय) नियंत्रण आदेश, 1959 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात :—

1. (1) इस आदेश का नाम मोटर कार (वितरण और विक्रय) नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) आदेश, 1973 है ।

(2) यह 1 जुलाई, 1973 को प्रवृत्त होगा ।

2. मोटर कार (वितरण और विक्रय) नियंत्रण आदेश, 1959 की अनुसूची 1 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात :—

"अनुसूची 1

विनिर्माता का नाम	मोटरकारों का विवरण	कीमत
		रु०
1. मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स लि०, उत्तरपाड़ा, जिला हुगली, (पश्चिमी बंगाल)	एम्बैसेडर	17,170
2. मैसर्स प्रीमियर आटोमोबाइल्स लि०, कंस्ट्रक्शन हाउस, बैलर्ड एस्टट, बम्बई	प्रीमियर प्रजीडैंट	16,679
3. मैसर्स स्टेन्डर्ड मोटर प्रोडक्ट्स आफ् इण्डिया लि०, 29, माउन्ट रोड, मद्रास	स्टेंडर्ड हेरल्ड/स्टेंडर्ड गैज़ल	16,666

स्पष्टीकरण.—विनिर्दिष्ट कीमतें कारखाने द्वार पर कीमतें हैं, जिनमें व्यवहारी का कमीशन सम्मिलित है और उत्पाद शुल्क, केंद्रीय शुल्क, केन्द्रीय विक्रय कर और स्थानीय कर, यदि कोई हो, और परिवहन प्रभार सम्मिलित नहीं हैं । ये कीमतें 31 दिसम्बर, 1973 तक प्रवृत रहेंगी ।"

[सं० 5(5)/73-ए०ई० आई० (1)]

एस० के० सहगल, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1973